संख्या : 363 / छप्पन–2014–6 / 2009 टी0सी0

(20)

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0
लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग — लखनऊ : दिनांक : 13 मार्च, 2014

विषय : जनपद मेरठ स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर हवाई पट्टी के विकास हेतु आवश्यक अतिरिक्त भूमि निःशुल्क रूप से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उपलब्ध कराने हेतु धनराशि स्वीकृत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 1196 / ना0उ0नि0 / ए0एफ0–8–84(बी) / 2013, दिनांक 17.2.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि जनपद मेरठ स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर हवाई पट्टी को यथा–स्थिति में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तांतरित करने और उक्त हवाई पट्टी के विकास हेतु आवश्यक अतिरिक्त भूमि निःशुल्क एवं समस्त भारमुक्त रूप में भारत सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी। जनपद मेरठ स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर हवाई पट्टी के विकास हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा चिन्हित 392 एकड़ अतिरिक्त भूमि के क्रय पर रूपये 341.71 करोड़ (रूपये तीन सौ इकतालिस करोड़ इकहत्तर लाख मात्र) का व्यय जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा आकलित किया गया है। उक्त आकलित व्यय के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रूपये 8.5274 करोड़ (रूपये आठ करोड़ बावन लाख चौहत्तर हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर जिलाधिकारी, मेरठ के निर्वतन पर रखने का प्रस्ताव निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा किया गया है अतः राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 8.5274 करोड़ (रूपये आठ करोड़ बावन लाख चौहत्तर हजार मात्र) की धनराशि के व्यय / भुगतान किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त प्रस्तर–1 में इंगित भूमि की व्यवस्था हेतु स्वीकृत धनराशि रूपये 8.5274 (रूपये आठ करोड़ बावन लाख चौहत्तर हजार मात्र) को आहरित कर तत्काल जिलाधिकारी, मेरठ के निवर्तन पर रखा जायेगा और यथावश्यकता समय–समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

3– उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि उसी प्रयोजन / मद पर व्यय की जायेगी, जिस प्रयोजन / मद हेतु यह स्वीकृति दी गयी है। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि किसी भिन्न मदों / प्रयोजनों पर व्यय नहीं की जायेगी। स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार एवं सुसंगत नियमों के अधीन ही भुगतान की जायेगा।

——2

4— प्रायोजना हेतु भूमि का क्रय आपसी सहमति से नियमानुसार किया जायेगा।

5— जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा क्रय की जा रही भूमि का विवरण तथा कुल भूमि का मूल्य का अन्तिम विवरण प्राप्त कर परीक्षणोपरान्त शासन को अविलम्ब प्रेषित किया जाय।

6— उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–38 पूंजी लेखा के अन्तर्गत लेखाशीर्षकः 5053–नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत–02–विमानपत्तन–800–अन्य व्यय–20–हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन–24–बृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

7— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– ई–7–382/दस–2014, दिनांक 12 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

पृ0सं0 : 363(1)/छप्पन–2014– तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ।
(3) कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/मेरठ।
(4) जिलाधिकारी, मेरठ।
(5) अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व/भूमि अध्याप्ति अधिकारी, मेरठ।
(6) निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–7
(8) नियोजन अनुभाग–4
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

समीक्षा अधिकारी (नगर)